कार्यकारी सारांश

- विभाग के पास आयातित कर योग्य सेवाओं के मूल्य का आंकलन करने के लिए एक विश्वसनीय तंत्र नहीं है। विभाग ने हालांकि प्राधिकृत डीलरों के पास उपलब्ध मूल डाटा का उपयोग करने के लिए कदम उठाए हैं (नवम्बर 2011 से); प्रक्रिया चल रही है। (पैरा 2.7 एवं 2.8)

- विभाग के पास कोई निर्धारित विशेष लेखांकन संहिताएं अथवा सेवाओं के आयात से संबधित संग्रहित करों का विश्वसनीय आंकड़ा प्राप्त करने का कोई वैकल्पिक तंत्र नहीं था। (पैरा 2.7)

- प्रणाली संग्राह्य कर तथा वास्तविक संग्रहित कर के बीच अंतर की जानकारी देने में पर्याप्त सुदृढ़ नहीं थी। (पैरा 2.7)

- विभाग के पास गैर-प्रवासी भारतीयों को विप्रेषणों से संबंधित आयकर विभाग के पास उलब्ध डाटा का उपयोग करने हेतु प्रणाली नहीं थी। (पैरा 2.12)

- आयकर में प्रावधान के अनुरूप आरबीआई लेखाकार से प्रमाण-पत्र/विप्रेषक द्वारा वचनबद्धता की प्रस्तुतीकरण के लिए किसी भी आवश्यकता पूरी न करने पर सेवा प्राप्तकर्ता द्वारा बाद में हुई सेवाकर देयता पूरी न करने की परवाह किए बिना सेवाओं के आयात के प्रति विप्रेषणों को अनुमत करता है। (पैरा 2.13)

- प्राधिकृत डीलरों जैसे चिन्हित पार्टियों से एक वार्षिक सूचना रिटर्न मंगाने हेतु कोई प्रणाली नहीं थी। (पैरा 2.22)

- निर्यात उन्मुख इकाईयों तथा संयुक्त उपक्रमों द्वारा देयता पूरा न करना इस बारे में मानीटरिंग को मजबूत बनाने की आवश्यकता को इंगित करता है। (पैरा 3.7 एवं 3.11)

- विभाग के पास कर अपवंचन के संभावित मामलों की जांच करने के लिए कुछ केन्द्रीय मंत्रालयों/आरबीआई के पास उपलब्ध विशेष प्रकृति के उच्च मूल्य वाले लेन-देन पर डाटा का उपयोग करने के लिए प्रणाली नहीं थी। (पैरा 3.16)